

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CQDE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta J.M.F.C. , Gohad, DIST-. BHIND (M.P)

IN THE COURT OF A.R. Gupta S.M.T.C., Goldas, 222
Case No
Name and address of the Complainant
211-9-21183
Name , parentage, caste and address of accused
मान वहां है। २०० कार्य असे २५ वर्ष
1) 20 Jon 2/13 S10 (1512/2) 302 0
Unit astor to sam & astor PS sines
भ कार देवता देवता है। जिल्ला से विस्तित से प्राप्ति के स्वाप्ति है। विस्ति के स्वाप्ति के क्षिति भ
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आपने दिनांक 7-7-17 को समय लगभग १२००० बजे, विकास १८०० वर्जे १६ १ २२ ३ ३०२६ के चाहन जिल्ला के प्राप्त और दस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि
अापने दिनाक - निर्मा की समय लगनग्रहरूक पर्वा में वाहन एक ने 21 है 27 र 3026
को विचा चित्रकर भाग / फिटनेश / बीमा / नम्बर प्लेट /
क0 21 2 7 83 826 की बिना राजार शापने ऐसा कृत्य किया है जो कि
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा १८८ १ अप विश्व नाहते हो।
मोटर व्हीकल एक्ट का धारा
दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के सङ्गान ने जाता है।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
Judicial magistrate first class,
Gehad Dist.Bland (M.P)
The plea of the accused and his examination (if any)
The plea of the accused and his examination (if any)
mula colonie.
myllia colland
3 cychtell 2
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist. Bhing (M.P)
der glassie(d) classise(g) of sub section 260 the

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

/ / निर्णय / '/

(आज दिनांक अड्डा को घोषित)

	01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की
	धारा 185 MV-ACL के
	तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
	02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई
3	पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपनाध की प्रकृति को
	दृष्टिगत रखते हुये आरोपी क्रांप जिल्ला को
	मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 18 5 MV िट्र
	तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उँउठने तक का
	कारावास एवं कमशः राशि रूपये 2000/
2783302	क्रा () के अर्थदण्ड से दण्रित किया जाता है।
	03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिकम की दशा में अभियुक्त को दिवस की
**	अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
	04. जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन रूमि ०३ वील कु०
डिजिने,	R6F2783026को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निवेंशन पर टंकित

A.K.Gupta

Judicial magistrate filest class,

Gohad Distability (M.P)